न्यूज़ टुडे

NPCIL ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए दरवाज़े खोले

हाल ही में, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने **ब्राउन/ ग्रीन फील्ड्स श्रेणी के तहत भारतीय उद्योगों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) स्थापित करने** के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।

- PHWR **प्रौद्योगिकी** पर आधारित भारत स्मॉल रिएक्टर्स **220 मेगावाट तक** की क्षमता वाले कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर हैं।
- BSRs का डिजाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) से मेल खाता है, जिनकी क्षमता **30 मेगावाट से कम और 300 मेगावाट से अधिक** तक हो सकती है।

परमाणु क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी का महत्त्व

- **संसाधन जुटाना:** यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित और संसाधनों के एकत्रीकरण से इकोनॉमी ऑफ स्केल को संभव कर सकता है। भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा में 26 बिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है॥
- **तकनीकी उन्नति और नवाचार:** यह अत्याधुनिक अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, इससे SMRs एवं उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकियों जैसे नवाचार भी संभव हो सकते हैं।
- **एनर्जी ट्रांजिशन:** यह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 GW ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी के समक्ष चुनौतियां

- **कानूनी:** 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम निजी क्षेत्रक को परमाणु संयंत्रों के लिए लाइसेंस देना प्रतिबंधित करता है।
- **उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाले कानून के बारे में अनिश्चितता:** परमाणु क्षति के लिए सिविल उत्तरदायित्व अधिनियम, 2010 को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिससे विनियामकीय अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है।
- **अन्य:**
  - परमाणु परियोजनाओं की पूंजी गहन प्रकृति के कारण उच्च प्रारंभिक लागत;
  - निजी क्षेत्रक द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन के प्रति जनता में विश्वास के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता आदि।

भारत ने UNFCCC के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत की

यह रिपोर्ट भारत द्वारा सौंपे गए **थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन को अपडेट** करती है। साथ ही, इसमें **वर्ष 2020 के लिए भारत के अलग-अलग क्षेत्रकों द्वारा ग्रीनहाउस गैस (GHG) के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े** भी शामिल हैं।

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNFCCC के अनुच्छेद 4.1** के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय तथा उनकी रिपोर्टिंग के लिए **भारत का नोडल मंत्रालय** है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **GHG उत्सर्जन:** इसमें 2019 की तुलना में 2020 में **7.93% की कमी** आई है।
  - **क्षेत्रक-वार GHG उत्सर्जन घटते क्रम में: ऊर्जा (75.66%), कृषि (13.72%), औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (8.06%), अपशिष्ट (2.56%)** आदि।
- **सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता:** इसमें 2005 से 2020 के बीच **36% की कमी** आई है।
- **गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा:** इनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 46.52% थी।
- **कार्बन सिंक का निर्माण:** 2005 से 2021 के बीच **वनावरण और वृक्षावरण के चलते 2.29 बिलियन टन CO_2 के बराबर** अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।
  - **वनावरण और वृक्षावरण:** वर्तमान में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का **25.17% है और इसमें लगातार वृद्धि** हो रही है।

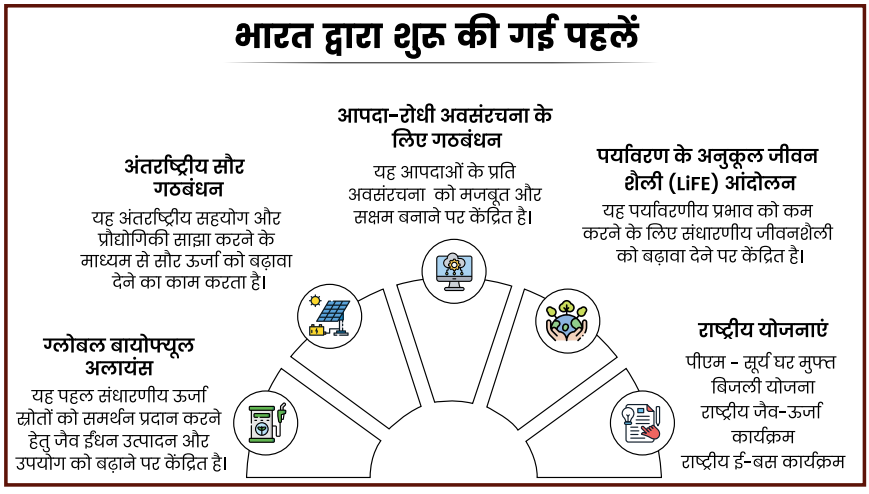

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन किया

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के **आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह** गठित किया है।

- **भारत में आधार वर्ष पहली बार 1942** में अपनाया गया था। तब **1939** को आधार वर्ष अपनाया गया था। तब से आधार वर्ष में 7 सशोधनों के द्वारा नए आधार वर्ष शामिल किए गए। ये 7 नए आधार वर्ष हैं- **1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-05 और 2011-12.**

कार्य समूह के विचारार्थ विषय

- यह कार्य-समूह भारत की अर्थव्यवस्था में **संरचनात्मक परिवर्तन** को ध्यान में रखते हुए **WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) की कमोडिटी बास्केट में बदलाव** का सुझाव देगा। साथ ही, यह **आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23** करने पर भी विचार करेगा।
- **गणना पद्धति:** कार्य-समूह को WPI या PPI के लिए **अपनाई जाने वाली गणना पद्धति** पर भी विचार करना है। साथ ही, इसे **गणना पद्धति की विश्वसनीयता बढ़ाने** के लिए भी सुझाव देना है।
- **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):** यह कार्य समूह **PPI तैयार करने के लिए पद्धति का पता** लगाएगा और सुधारों पर सुझाव देगा।
- कार्य-समूह को **WPI की जगह PPI अपनाने के लिए रोडमैप** की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है।
- **अन्य कार्य:** कार्य समूह को **वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन को मापने और लिंकिंग फैक्टर गणना पद्धति की समीक्षा करने व उसमें बदलाव** पर भी सुझाव देना है।
  - **लिंकिंग फैक्टर** टाइम सीरीज डेटा में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और WPI की पुरानी व नई श्रृंखला के साथ तुलना करने में सहायता करता है।

पैरामीटर	थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)
परिभाषा	यह **थोक** स्तर पर वस्तुओं की एक **निश्चित बास्केट में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन की माप है।**	यह **वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त विक्रय मूल्यों** में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन की माप है।
संघटन	इसमें **लगाए गए कर तथा थोक लेन-देन के स्तर तक वितरण की लागत** शामिल हो सकती है।	इसकी गणना में **अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं** किए जाते हैं।
सेवाएं	WPI की गणना में **सेवाओं को शामिल नहीं** किया जाता है।	**PPI की गणना में सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापा** जाता है।
मल्टीपल गणना पूर्वग्रह	इसमें एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वग्रह मौजूद होता है। - मल्टीपल गणना तब होती है, जब किसी विशिष्ट वस्तु के मूल्य और उसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त इनपुट को समग्र सूचकांक में शामिल किया जाता है।	मल्टीपल गणना की संभावना नहीं रहती है।

नीति आयोग ने अपना दसवां स्थापना दिवस मनाया

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की स्थापना **1 जनवरी, 2015** को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत की गई थी। सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था।

नीति आयोग के बारे में

- **इसे मुख्य रूप से दो तरह के काम सौंपे गए हैं:**
  - देश में **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने** एवं उन्हें **हासिल करने** की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना; तथा
  - राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **प्रतिस्पर्धात्मक** और **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना।
- **नीति आयोग की संरचना**
  - **अध्यक्ष:** भारत का प्रधान मंत्री
  - **गवर्निंग काउंसिल:** नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अग्रलिखित शामिल होते हैं- **प्रधान मंत्री;** सभी राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के **मुख्यमंत्री;** अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के **उपराज्यपाल;** नीति आयोग के **पदेन सदस्य;** नीति आयोग का **उपाध्यक्ष;** नीति आयोग के **पूर्णकालिक सदस्य; विशेष आमंत्रित सदस्य;** आदि।
  - **क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils):** इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** इस पद पर भारत सरकार के **सचिव रैंक** के अधिकारी को प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। CEO को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर

	योजना आयोग	नीति आयोग
कार्य पद्धति	टॉप-डाउन अप्रोच एवं केंद्रीकृत प्लानिंग मॉडल, जिसमें उच्च स्तर पर बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा ही राज्यों के संदर्भ में निर्णय लिए जाते थे।	बॉटम-अप अप्रोच एवं सहकारी संघवाद का दृष्टिकोण, जहां नीति निर्माण में राज्यों की समान भागीदारी रहती है।
संसाधनों का आवंटन	राज्यों को संसाधन आवंटित करने एवं राज्य परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्तियां योजना आयोग के पास थीं।	नीति आयोग के पास इस तरह की कोई वित्तीय शक्ति नहीं है।
नीति निर्माण	योजना आयोग मुख्यतः पंचवर्षीय योजना बनाने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता था।	नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को तकनीकी सलाह देते हुए, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
राज्यों की भागीदारी	प्लानिंग प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी सीमित थी।	राज्य के मुख्यमंत्री और UTs के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा 'स्कूली शिक्षा प्रणाली (SES) का तुलनात्मक अध्ययन' रिपोर्ट जारी की गई

इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, चीन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से **भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की तुलना** की गई है। रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के विभिन्न आयामों जैसे कि स्कूली संरचना, शिक्षा पद्धति, फंडिंग, मूल्यांकन और स्कूली शिक्षा में समानता-असमानता के आधार पर तुलना की गई है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियां

- क्षेत्रीय असमानताएं और लैंगिक अंतराल,
- आवश्यक अवसंरचना की कमी और ग्रामीण-शहरी असमानताएं,
- समग्र शिक्षा के अभाव के कारण समतापूर्ण शिक्षा में बाधा,
- 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल की कमी, जिसके कारण रोजगार मिलने में बाधा आती है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **शिक्षा बजट में वृद्धि करना:** शिक्षा के क्षेत्र में GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि कौशल विकास, अवसंरचना सुधार और नवाचार आधारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सके।
- **डिजिटल शिक्षा:** डिजिटल अंतराल को समाप्त करने, स्थानीय परिवेश के हिसाब से स्टडी मटेरियल बनाने और शिक्षकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को मजबूती से लागू करना:** कौशल-आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सिलेबस की रूपरेखा:** एक ऐसा समावेशी पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय विविधताओं को शामिल करते हुए कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे।
- **असमानताओं का समाधान: स्वीडन के दिव्यांगजन-समावेशी फ्रेमवर्क** जैसे मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ग्रामीण अवसंरचना (जैसे- स्कूल आदि) के विकास, समावेशी पाठ्यक्रम और कुशल शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- **शिक्षण विधियों में बदलाव:** शिक्षकों को इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे बच्चों को बदलते परिवेश में समझदारी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए सक्षम बना सकें।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की अन्य देशों के साथ तुलना

पैरामीटर	भारत की स्थिति	अन्य देशों से तुलना/ सर्वोत्तम प्रणाली
शिक्षा पद्धति	**सैद्धांतिक ज्ञान और रटने पर अधिक बल दिया जाता है।**	**ऑस्ट्रेलिया** में प्रश्न-पूछने और अमेरिका में क्रिएटिविटी आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है।
आकलन और मूल्यांकन	निर्धारित समय अंतराल पर टेस्ट एवं अन्य गतिविधियों के साथ-साथ **लगातार एवं व्यापक मूल्यांकन** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	**ऑस्ट्रेलिया और यू.के. में** राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट के साथ-साथ परियोजना-आधारित आकलन के माध्यम से लगातार मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
बजट	शिक्षा पर **GDP का 2.7% से 2.9%** तक खर्च किया जाता है।	**ऑस्ट्रेलिया** में शिक्षा पर GDP का **5.5%** और **चीन में 4.1%** खर्च किया जाता है।
प्रौद्योगिकियों का उपयोग	स्वयं (SWAYAM/ ऑनलाइन पाठ्यक्रम); स्मार्ट कक्षाएं	**स्वीडन ने** स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए **राष्ट्रीय डिजिटलीकरण रणनीति** बनाई है।

रक्षा मंत्रालय ने 2025 को 'सुधारों का वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की

रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का उद्देश्य सशस्त्र बलों को **एडवांस तकनीक से लैस करके उनका आधुनिकीकरण** करना है। इससे उन्हें मल्टी डोमेन में सक्षम **'कॉम्बैट-रेडी यानी युद्ध-तत्पर बल'** बनाया जा सकेगा।

- साथ ही, इस घोषणा का लक्ष्य **वर्तमान और भविष्य के सुधारों को गति** देना भी है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल विभिन्न क्षेत्रों (जैसे थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस) में युद्ध संचालन को एकीकृत रूप से अंजाम देने में सक्षम होगा।

सुधारों के लिए ध्यान देने हेतु पहचाने गए क्षेत्र

- **एकीकृत थिएटर कमान (ITC):** एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए **तीनों सेनाओं द्वारा एक साथ मिलकर काम करने और एकीकरण पहलों** को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - एकीकृत थिएटर कमान वास्तव में **त्रि-सेवा कमान** होगा। इसमें **थल सेना, नौसेना और वायु सेना की यूनिट्स** शामिल होंगी। यह एकीकृत कमान सामूहिक रूप से **किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों** में सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा।
- **नई प्रौद्योगिकियां और नए युद्ध क्षेत्र: साइबर और अंतरिक्ष युद्ध-क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग (AI/ML), हाइपरसोनिक्स** जैसे क्षेत्रों में क्षमता विकास पर बल दिया जाएगा। इससे भारतीय रक्षा बल को **'भविष्य के युद्ध'** के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करना:** इसके लिए **व्यवसाय करना आसान** बनाते हुए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा** दिया जाएगा।
- **सहयोग: इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे-**
  - तीनों सेनाओं द्वारा अलग-अलग कार्य करने को हतोत्साहित किया जायेगा;
  - असैन्य (सिविल) प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा,
  - तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से संयुक्त परिचालन क्षमता विकसित की जाएगी।
- **रक्षा निर्यात और अनुसंधान एवं विकास:** भारत को **रक्षा उत्पादों के लिए एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में पहचान** दिलाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में **अनुसंधान एवं विकास और साझेदारी को बढ़ावा** दिया जाएगा।

रक्षा क्षेत्रक का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **निजी क्षेत्रक और MSMEs की भागीदारी को बढ़ावा देना:** स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए **इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) योजना** शुरू की गई है और **सेल्फ-रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन (SRIJAN) पोर्टल** लॉन्च किया गया है।
- **उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति:** रक्षा क्षेत्रक में नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए **2020 में स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्रक में FDI सीमा बढ़ाकर 74%** कर दी गई थी। इसके अलावा, आधुनिक तकनीक प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए **सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% FDI** की अनुमति दी गई है।

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024

- भारत सरकार के **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2024** की घोषणा की। इन पुरस्कारों को **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में**
  - ये **खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों या संगठनों** आदि को दिए जाने वाले **6 पुरस्कारों** का समूह है।
    - **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024:** यह पुरस्कार **गुकेश डी (शतरंज), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स), मनु भाकर (निशानेबाजी)** आदि को दिया गया है।
      - यह **4 वर्षों की अवधि** में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
    - **अन्य पुरस्कार**
      - **अर्जुन अवॉर्ड;**
      - **अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम);**
      - **द्रोणाचार्य अवॉर्ड:** कोच को प्रदान किया जाता है;
      - **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी:** खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को।
      - **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:** ऐसे संगठन/ व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने पिछले 3 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने एवं विकास के लिए कार्य किया है।

प्रोजेक्ट विस्तार (Project VISTAAR)

IIT- मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार (VISTAAR) के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है।

- यहां VISTAAR से आशय है: वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज।

प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में

- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सभी नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इस पर प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि-सलाहकार नेटवर्क बना सकता है।
- यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक व्यापक नेटवर्क है। यह अलग-अलग डेटाबेस को जोड़ता है।
- **उद्देश्य:** यह कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेने और संसाधन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देगा।
- **महत्त्व:**
  - यह नेटवर्क कृषि क्षेत्रक के अधिक हितधारकों तक फसल उत्पादन, बिक्री, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर **उत्कृष्ट सलाहकार सेवाएं** पहुंचाएगा।
  - यह नेटवर्क किसानों को उनके लिए **आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी** प्रदान करेगा।

पिग बुचरिंग स्कैम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में **"पिग बुचरिंग स्कैम (Pig butchering scam)" या "निवेश घोटाला"** नाम के नए साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को आगाह किया।

पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में

- यह एक प्रकार की वैश्विक घटना है। इसमें बड़े पैमाने पर **मनी लॉन्ड्रिंग** और यहां तक कि **साइबर गुलामी** भी शामिल है।
- इसमें साइबर अपराधी समय के साथ **किसी व्यक्ति पर विश्वास कायम** करते हैं। उन्हें **किसी आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और इसे बढ़ाते रहने के लिए राजी** किया जाता है। भरोसा कायम करने के बाद **वे गायब** हो जाते हैं। इस तरह निवेशकों का पैसा डूब जाता है।
  - पिग बुचरिंग स्कैम यानी सूअर काटने की उपमा सूअरों को उनके वध से पहले मोटा करने के अभ्यास से आई है।
- इस स्कैम में मुख्य रूप से **बेरोजगार युवाओं, गृहणियों और छात्रों के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों को निशाना** बनाया जा रहा है।

गोमती नदी

भारतीय थलसेना ने **गोमती नदी के कायाकल्प के लिए एक नई कंपनी** (यूनिट) गठित की है।

- इससे पहले, सेना ने **गंगा के लिए पहले 'समग्र पारिस्थितिकी कार्य बल (CETF) का गठन** किया था। इस कार्य बल की सफलता से प्रेरित होकर गोमती नदी के कायाकल्प की योजना बनाई गई थी।
- CETF **भूतपूर्व सैनिकों की एक यूनिट** है। इस यूनिट का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के प्रयासों का समर्थन** करना है।

गोमती नदी के बारे में

- **उद्गम:** यह नदी **उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटांडा के पास गोमत ताल** से निकलती है।
  - **गोमत ताल को फुलहर झील** भी कहा जाता है।
- **अपवाह:** गोमती, **गंगा नदी की एक सहायक नदी** है। गोमती नदी **उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी** में मिल जाती है।
- **सहायक नदियां:** कठिना नदी, सई नदी आदि।
- **गोमती के तट पर बसे प्रमुख शहर:** लखनऊ, जौनपुर, आदि।

शेंतुरुणी वन्यजीव अभयारण्य (Shendurney Wildlife Sanctuary)

हाल ही में, शेंतुरुणी वन्यजीव अभयारण्य में **"जंतु सर्वेक्षण" (Faunal survey)** किया गया। इस सर्वेक्षण में **पक्षियों, तितलियों, ओडोनेट्स (ड्रैगनफ्लाई व डैमसेलफ्लाई) और अन्य वन्यजीवों को रिकॉर्ड करने पर बल** दिया गया।

- सर्वेक्षण के दौरान **ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार बैंडेड पीकॉक (तितली)** जैसी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया।
  - **ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी (स्टेट बर्ड) है।**

शेंतुरुणी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह अभयारण्य **केरल के कोल्लम जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट** में अवस्थित है। यह अभयारण्य, **अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा** है।
- इस अभयारण्य का नाम यहां की स्थानिक (एंडेमिक) पादप प्रजाति **'घुटा त्रावणकोरिका'** के नाम पर रखा गया है। इस पादप प्रजाति को **'चेनकुरिंजी'** के नाम से जाना जाता है।
- **अभयारण्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां: कुलातुपुड़ा, शेंतुरुणी और कालतुरुती**। ये तीनों नदियां आगे मिलकर कल्लड़ा नाम से बहती हैं।
- **अभयारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जीव-जंतु:** हाथी, गौर, सांभर हिरण, मालाबार जायंट गिलहरी, नीलगिरि लंगूर, शेर पूंछ मकैक आदि।
- भारत का पहला **नियोजित इको-पर्यटन स्थल, 'थेनमाला'** इसी अभयारण्य में स्थित है।

हाइड्रोजेल

- हाल ही में, **IIT गुवाहाटी** के शोधकर्ताओं ने **स्तन कैंसर के इलाज** के लिए एक एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है।
  - हाल ही में, विकसित **हाइड्रोजेल प्रोटीन-बेस्ड अल्ट्रा-शॉर्ट पेप्टाइड्स** से बना है, जो शरीर के तरल पदार्थों में अघुलनशील होने के कारण इंजेक्शन वाले स्थान पर स्थिर बना रहता है।
    - ये पेप्टाइड्स **बायो कंपैटिबल और बायोडिग्रेडेबल** दोनों होते हैं।

हाइड्रोजेल के बारे में

- हाइड्रोजेल **जल-आधारित, त्री-आयामी संरचनाओं वाले पॉलीमर के नेटवर्क** हैं, जो तरल पदार्थ को अवशोषित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम होते हैं।
- हाइड्रोजेल की विशिष्ट संरचना **जीवित ऊतकों की नकल** करती है। इस कारण से **जैव-चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता** काफी बढ़ जाती है।

मिथाइलकोबालामिन

- FSSAI ने कुछ शर्तों के तहत **स्वास्थ्य पूरक, चिकित्सा उद्देश्यों और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों या फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों में मिथाइलकोबालामिन के उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों में स्पष्टीकरण** जारी किया।
  - FSSAI ने **2016 में मिथाइलकोबालामिन के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा दिया था और 2021 में इस प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है।

मिथाइलकोबालामिन के बारे में

- यह **विटामिन B12 का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला** एक रूप है। इसे सप्लीमेंट्स के साथ-साथ **मछली, मांस, अंडे और दूध जैसे खाद्य स्रोतों** से प्राप्त किया जा सकता है।
  - **विटामिन B12, पानी में घुलनशील विटामिन** है, जो **डी.एन.ए. संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स (RBC) के उत्पादन एवं तंत्रिका तंत्र के बेहतर ढंग से कार्य** करने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है।
  - विटामिन B12 के अन्य रूप हैं- **साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन**।
- **कार्य:** शरीर के **महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे- कोशिका गुणन (Multiplication)** यानी वृद्धि, रक्त निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण आदि।
- **उपयोग:** डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए, एनीमिया एवं अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में आदि।

संपत्ति का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है**, लेकिन यह अभी भी **संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार** है।

'संपत्ति के अधिकार' के बारे में

- **मूल संविधान में स्थिति:** मूल संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत "संपत्ति के अधिकार और इसके अधिग्रहण के लिए मुआवजे" को मूल अधिकार** माना गया था।
- **वर्तमान स्थिति: 1978 में 44वें संविधान संशोधन** के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे **अनुच्छेद 300A के तहत 'संवैधानिक अधिकार'** बना दिया गया।
  - अनुच्छेद 300A के अनुसार **कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं** किया जा सकता।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (1141-1235)

- प्रधान मंत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के **'उर्स'** पर लोगों को बधाई दी।
  - सूफी संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी दरगाह पर **हर साल उर्स** का आयोजन किया जाता है।
- **ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में**
  - इनका जन्म **1141 ई. में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती** नामक कस्बे में हुआ था।
  - वे **भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले** के सबसे सुप्रसिद्ध संत थे।
  - भारत में **चिश्ती सिलसिले** की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी।
    - चिश्ती सिलसिले की एक प्रमुख विशेषता **आत्मसंयमपूर्ण जीवन यापन** करना था, **जिसमें सांसारिक सुखों से दूरी बनाए रखना भी शामिल** था।
  - **प्रसिद्ध अनुयायी: ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग** आदि।
- **मुख्य मूल्य**
  - सांप्रदायिक सद्भाव, सभी को आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करना, विनम्रता आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची